राजस्थानसरकार

निदेशालय कोष एवंलेखाराजस्थानजयपुर

"वित्तभवन" जनपथ, जयपुर–302015

(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141–2742309, ईमेल:jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांकः–एफ.4(ई)(1)(6)/क.ले.प्रशि./अलेसे–III/6239 दिनांक :– 19.11.2020

आदेश संख्याः– 215/2020-21

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कार्मिकों को हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (रीपा), पुरानी जिला परिषद के पिछे नयापुरा, कोटा–324001 में दिनांक 23.11.2020 से 15.01.2021 तक आयोजित होने वाले कनिष्ठ लेखाकार पद के आठ सप्ताह के ऑनलाइन संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिनांक 23.11.2020 को प्रातः 09:30 बजे से ऑनलाइन संस्थानिक प्रशिक्षण मे सम्मिलित होने हेतु मनोनीत किया जाता हैः–

क.सं.	मेरिटनं.	लिंकनं.	नाम	वर्तमानकार्यालय कानाम	मोबाईलनं.	ईमेल पता
1	293	10018	नरसी लाल	ब्लॉक संदर्भ केन्द्र एसएसए, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद (एक्स कैडर) भैंसरोडगढ जिला चित्तौडगढ	8560998755	narsikumar786@gmail.com
2	566	10455	मेघा गोयल	उपकोषाधिकारी (स्वतन्त्र) कोष कार्यालय देवली जिला टोंक	9413619931	megha.july2009@gmail.com
3	773	11516	जितेन्द्र सिंह शेखावत	निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राज0 जयपुर	9462609888	jitendrshekhawat7@gmail.com
4	1524	10570	अनीता कुमावत	चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सीकर।	9829882695 8504057994	jyoticomputers010@gmail.com
5	1696	12099	कृष्ण कान्त चूण्डावत	प्रभारी, भौतिक सत्यापन दल, निरीक्षण विभाग, जयपुर।	8824085010	sngothwal@gmail.com
6	1880	11023	रूपा	सी.डी.पी.ओ. समेकित बाल विकास सेवायें बुहाना जिला झुन्झुनू	9413565381	roopayadav86@gmail.com
7	1934	12308	नरेन्द्र कुमार वर्मा	निदेशक, निरीक्षण विभाग जयपुर	8010052681	narendramaharda99@gmail.com
8	2086	13193	प्रतिभा शर्मा	निदेशक, सम्पदा विभाग, जयपुर।	9829854133	joyatiger3@gmail.com
9	2094	13055	देवेन्द्र कुमार गुप्ता	ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज. सचिवालय जयपुर।	9887134450	devgupta.1986@gmail.com
10	2126	12937	मनराज मीणा	परियोजन प्रबंधक, राजस्थान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, झालावाड़।	8010213513	mrmeena.dmrc@gmail.com
11	2437	12258	राहुल सपलानिया	निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाऐं, जयपुर।	7737572744	rahulsaplaniya@gmail.com
12	2516	10855	कपिला	परियोजन प्रबंधक, राजस्थान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, सीकर।	8440963589	Kaoilasingh92@yahoo.com
13	2545	10984	राजेश मीणा	चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, खेडी, अलवर।	7737835565	RAJESHM072@GMAIL.COM

14	2622	12567	रमेश चन्द मीणा	सचिव लोकायुक्त, विधि विभाग, जयपुर।	9413678158	rcmeena00@gmail.com
15	2631	11014	राम कृपाल मीणा	सचिव, नगर सुधार न्यास प्राधिकरण (एक्स कार्डर पद), अलवर।	9785385489	ramdeenmeena1993@gmail.com
16	3115	12384	रोशन लाल मूर्तिकार	सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।	9929767296	gsoni10101989@ymail.com
17	3205		नवल सिंह	उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भरतपुर।	9462928380	naval1978singh@gmail.com
18	1297 B	43386	राजूलाल जोगी	श्रम आयुक्त जयपुर	9929905420	
19	2583 A	23326	मुकेश कुमार	निदेशक, अभियोजन विभाग जयपुर	8104226890	
20	2913 A	23328	कौशल किशोर मीणा	कोष कार्यालय, कोष एवं लेखा विभाग, बारां	7877251797	
21	3242 A	23327	लकी कुमार विजय	कोष कार्यालय, कोष एवं लेखा विभाग, टोंक	7300188067	
22	2882 A	43396	पूजा कुमारी चेजारा	समाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, लक्ष्मणगढ़, सीकर	9587622302	

उक्त प्रशिक्षण की अवधि आठ सप्ताह (सात सप्ताह का संस्थानिक प्रशिक्षण व एक सप्ताह का परीक्षा कार्यक्रम) की होगी तथा प्रशिक्षण का समय प्रातः 09:30 से सायं 06:00 बजे तक रहेगा। उक्त प्रशिक्षण अवधि में सभी प्रशिक्षणार्थियों को वेतन एवं भत्ते आदि का भुगतान उनके वर्तमान पदस्थापन कार्यालय द्वारा ही किया जायेगा।

उपरोक्त सभी कार्मिकों को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम–1963 के नियम 32 (2) के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। अतः संबधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके कार्यालय/विभाग में कार्यरत उपरोक्त समस्त कार्मिकों को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त करें। किसी भी कार्मिक को प्रशिक्षण से मुक्त रखना संभव नहीं होगा। प्रशिक्षण की समाप्ति उपरान्त उपरोक्त सभी कनिष्ठ लेखाकार अपने वर्तमान पदस्थापन कार्यालय में ही उपस्थिति देंगे।

यदि किसी कार्मिक ने कनिष्ठ लेखाकार पद का संस्थानिक प्रशिक्षण पूर्व में प्राप्त कर लिया है तो उसे पुनः प्रशिक्षण के लिए कार्यमुक्त नहीं किया जावें। यदि किसी कार्मिक के वर्तमान पदस्थापन कार्यालय में कोई परिवर्तन हुआ है तो उसे परिवर्तित कार्यालय (वास्तविक रूप से कार्यरत कार्यालय) के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा कार्यमुक्त किया जावेंगा।

(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)
निदेशक

क्रमांकः–एफ.4(ई)(1)(6) / क.ले.प्रशि. / अलेसे–III / 6239 दिनांक :– 19.11.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यकत कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. महानिदेशक, ह.च.मा राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
2. प्रभारी अधिकारी, (प्रशिक्षण एवं आयोजना) ह.च.मा राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक / सहायक निदेशक, हरि चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (रीपा), पुरानी जिला परिषद के पिछे नयापुरा, कोटा–324001 को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त कार्मिकों को प्रशिक्षण की समाप्ति पर उनके वर्तमान विभाग / कार्यालय के लिए कार्यमुक्त कर निदेशालय को सूचित करें।
4. विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष... को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक के प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त कर इस विभाग को अवगत करावें क्योकि किसी भी कार्मिक को प्रशिक्षण से मुक्त रखना संभव नहीं होगा।
   यदि संबंधित कार्मिक वर्तमान में आपके कार्यालय में पदस्थापित नहीं है, तो कार्मिक के नवीन पदस्थापन स्थान पर भी सूचना भिजवाते हुऐ निदेशालय को भी अवगत कराने का श्रम करे।
5. समस्त कोषाधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि आपके जिले के अधीनस्थ कार्यालयों में यदि किसी कार्मिक ने 08 सप्ताह का संस्थानिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, तो उसकी सूचना निदेशालय को शीघ्र भिजवाने का श्रम करें।
6. संबंधित कार्मिक को प्रेषित कर लेख है कि उक्त ऑनलाइन संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में नियत तिथी / समय पर ज्वाईन कर ज्वाईनिंग की सूचना निदेशालय को अविलम्ब भिजवाना सुनिश्चित करें, अन्य था उनके विरूद्ध नियमानुसार की जाने वाली अनुशासनिक कार्यवाही के लिए तथा निर्धारित समयावधि में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करने के प्रतिफल के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे एवं यदि संबंधित कार्मिक के मोबाईल नं0 एवं ई–मेल पते में परिवर्तन या ई–मेल पता नहीं होने की स्थिति में संबंधित प्रशिक्षण केन्द्र में सम्पर्क करें।
7. समस्त कनिष्ठ लेखाकारों को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश के पश्चात् भी यदि किसी कार्मिक ने आदिनांक तक 08 सप्ताह का संस्थानिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, तो इसकी सूचना तत्काल निदेशालय को प्रेषित करें।
8. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
9. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट हेतु)
10. रक्षित / निजी पत्रावली।

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्तनिदेशक (कार्मिक–III)